an>

Title: Need to increase the remuneration paid to the workers employed on contract basis under Mid-day meal scheme.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके माध्यम से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि होली के पावन पर्व पर हम सभी अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र में था। कई प्रकार के लोग अभिवादन और अभिनन्दन के लिए आते हैं। कुछ महिलाओं और पुरुषों का एक ग्रुप आया। वे मिड-डे-मील योजना के तहत कुक-कम-हेल्पर के रूप में स्कूलों में काम करते हैं। उनकी पीड़ा बहुत ही वाज़िब थी। यह बात मैं आपके माध्यम से माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया तक पहुंचाना चाहता हूँ। उनकी पीड़ा यह है कि वे 11 बजे से 4 बजे तक 25 बच्चों पर एक कर्मी और 25 से सौ बच्चों पर दो कर्मी रहते हैं। But they are getting only Rs. 1,000 while under the MGNREGS they are getting more money. जो मिनिमम वेज़ होती है, it is around Rs. 150 और एक दिन का they are getting Rs. 33. पूरे दिन महिलाएँ स्कूल में रहती हैं क्योंकि उन्हें खाना बनाना, रसोई के बर्तन साफ करना आदि कार्य करने रहते हैं। यह पीड़ा केवल मेरे क्षेत्र की नहीं है। 25 से 30 लाख कुक-कम-हेल्पर काम करते हैं throughout the country in all the States and UTs, उन सबकी यह पीड़ा है। इनकी पीड़ा को वास्तव में मंत्री महोदया तक पहुंचाया जाए। मैं आपके मार्फ़त मंत्री महोदया और भारत सरकार से निवेदन करूँगा because 90 per cent grant in the North East and 75 per cent grant in other parts is given for them by the Central Government to all the States. सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इन्हें एक हजार रुपए की जगह कम से कम पन्द्रह सौ रुपए या दो हजार रुपए प्रति माह दिया जाए ताकि वे अच्छे ढंग से काम करें अन्यथा वे लोग खाने की सामग्रियों में ही सामान निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : **माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे श्री सी.आर. चौधरी द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।**

श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) : **माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे श्री सी.आर. चौधरी द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।**

माननीय अध्यक्ष : **श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,**

श्री भैरो प्रसाद मिश्र एवं

श्रीमती संतोष अहलावत को श्री सी.आर.चौधरी द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।